न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 257/2020 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा जिला भीलवाडा

—प्रार्थी

बनाम

1. लक्ष्मण सिंह पिता कानसिंह राजपूत
2. दयाल सिंह पिता कानसिंह राजपूत
3. गंगादेवी पत्नी कानसिंह राजपूत निवासीयान ए पी ऑफिस भीलवाडा

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित —
1. राजकीय अधिवक्ता — प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 9.12.2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम टोकरवाड की आ.न. 2784/579 रकबा 15.00 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.10.2020 को दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि विपक्षी के सम्मन की तामील में विपक्षी की सकुनत गलत होना अंकित किया है। इस पर प्रार्थी तहसीलदार हुरडा ने सही सकुनत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2021.01.12 13:29:44 IST
Reason: SelfAttested

अति जिला कलक्टर भीलवाड़ा

पेश नही कर विपक्षी के विरूद्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) प्रस्तुत किया है, जो नियम विरूद्व होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) खारिज किया जाता हैं।

तहसीलदार हुरडा द्वारा सही सकुनत रिपोर्ट मय सम्मन भी पेश नही किये गये। जबकि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 01.10.2020 से ही पंजीबद्ध चला आ रहा है। प्रकरण में काफी समय व्यतीत होने पर भी प्रार्थी ने विधिवत प्रक्रिया नही अपनायी है, इस प्रकार तहसीलदार हुरडा ने न्यायालय का श्रम व समय अनावश्यक जाया किया है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार हुरडा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 9.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2021.01.12 13:29:44 IST
Reason: SelfAttested